न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(अरूण कुमार हसीजा, आई0ए0एस0, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
नामान्तरण अपील: 07/2025
दायर दिनांक: 20.03.2025
निर्णय दिनांक 08.05.2026

—: अनवान :—

1. नारायणलाल पिता लच्छीराम जी जाति गुर्जर, आयु 55 वर्षे निवासी गांव लच्छीपुरा, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमंद।
2. श्रीमती गीता पुत्री लच्छीराम जी धर्मपत्नी धन्नालाल जी जाति गुर्जर आयु 43 वर्ष निवासी गांव लच्छीपुरा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमंद हाल निवासी गांव जावड तहसील मावली जिला उदयपुर।
3. श्रीमती भागु पुत्री लच्छीराम जी धर्मपत्नी गणेशलाल जी, जाति गुर्जर, आयु 42 वर्ष, निवासी गांव लच्छीपुरा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमंद वर्तमान निवासी गांव जावड तहसील मावली जिला उदयपुर।
4. श्रीमती अणछाई पुत्री लच्छीराम जी धर्मपत्नी भैरूलाल जी जाति गुर्जर आयु 41 वर्ष निवासी लच्छीपुरा हाल निवासी पीपरडा तहसील व जिला राजसमंद।

— अपीलांटगण

—: बनाम :—

1. दाखु बाई धर्मपत्नी गिरधारीलाल जी, जाति गुर्जर, आयु वयस्क, निवासी गांव लच्छीपुरा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमंद।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमंद।

— रेस्पोडेण्टगण

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 361 दिनांक 01.12.2021 न्यायालय तहसीलदार नाथद्वारा, जिला राजसमंद के गांव लच्छीपुरा, पटवार हल्का बिजनोल, तहसील नाथद्वारा के आदेश के विरुद्ध अपील

उपस्थितः—

1. श्री ख्यालीलाल नागदा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री पुष्पेन्द्र गुर्जर अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 01 अनुपस्थित
3. श्री अनिल बागोरा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 02

—:: निर्णय ::—

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अपील विरूद्ध तहसीलदार, नाथद्वारा द्वारा पारित नामान्तरकण संख्या 361 दिनांक 01.12.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थीगण की खातेदारी कृषि भुमि राजस्व गांव लच्छीपुरा, पटवार हल्का बिजनोल, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमंद में स्थित थी जिसके आराजी नम्बर 350/312/1 जिसके वर्तमान आराजी नम्बर 409/312 है जो रकबा 01 बीघा 13 बिश्वा भुमि थी तथा उक्त कृषि भुमि में से दिनांक 20.03.2020 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को 11 बिश्वा भूमि विक्रय की थी अर्थात अपीलाण्टगण की सम्पुर्ण कृषि भूमि में से 1/3 हिस्सा ही विक्रय हस्तांतरण किया गया था परन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के आधार पर नामान्तरण पारित करते समय अपीलार्थीगण की सम्पुर्ण कृषि भूमि को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम पर राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर दी तथा भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के अनुसार अकंन सही है, की रिपोर्ट के साथ अधिनस्थ न्यायालय नाथद्वारा द्वारा दिनांक 01.12.2021 को पटवारी हल्का द्वारा भरे गये नामान्तरण को ज्यो का त्यो ही स्वीकृत कर दिया जिससे अपीलार्थीगण की खातेदारी भुमि के हक अधिकार ही समाप्त कर दिये जबकि अपीलार्थीगण के द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में से 11 बिश्वा भुमि ही विक्रय की गई थी तथा उक्त भुमि ही विक्रय पत्र में अंकित है फिर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण की सम्पुर्ण कृषि भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम पर दर्ज कर दी जिससे अपीलार्थी दुखी एवं पीडीत होकर अपीलार्थीगण की और से उक्त अपील प्रस्तुत है अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नाथद्वारा ने कानुन के विपरीत जाकर ऐसा निर्णय पारित किया। जिससे अपीलार्थीगण के हक एवं अधिकारों को ही समाप्त कर दिया तथा अधिनस्थ

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द

न्यायालय ने नामान्तरण संख्या 361 स्वीकृत करने से पूर्व किसी प्रकार की दस्तावेजों की जांच नहीं की तथा पटवारी हल्का बिजनोल द्वारा नामान्तरण भरकर पेश किया उस पर गौर न कर अपने मनमाफिक तरिके से नामान्तरणकरण स्वीकृत कर लिया जबकि न्यायालय द्वारा कानुनन जिन दस्तावेजों के आधार पर नामान्तरण पारित किया जाना उक्त दस्तावेजों की विधिक जांच किया जाना आवश्यक है तथा उक्त दस्तावेजों को जांच के पश्चात् ही किसी नामान्तरण को स्वीकृत करना होता है फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त नामान्तरणकरण स्वीकृत के पुर्व किसी भी प्रकार की वैधानिक जांच न कर मन माफिक ढंग से नामान्तरणकरण पारित कर दिया जो विधि के सर्वथा विपरीत होकर अपास्त योग्य है। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलार्थीगण स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नाथद्वारा के आदेश दिनांक 01.12.2021 के गांव लच्छीपुरा के नामान्तरण संख्या 361 को निरस्त फरमाया जावें तथा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर पुनः नामान्तरणकरण राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने का आदेश प्रदान फरमावें।

अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन सूचना दी गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री पुष्पेन्द्र गुर्जर ने वकालतनामा प्रस्तुत कर उपस्थित दी किन्तु वक्त बहस अनुपस्थित तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने उपस्थिति दी।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की धारा 5 के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गयी। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण सन्तोषप्रद प्रतीत होने से विलम्ब अवधि को न्यायहित में कन्डोन किया जाकर अपील को अवधि मे शुमार करते हुए धारा 5 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मेमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थीगण की खातेदारी कृषि भुमि राजस्व गांव लच्छीपुरा, पटवार हल्का बिजनोल, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमंद में स्थित थी जिसके आराजी नम्बर 350/312/1 जिसके वर्तमान आराजी नम्बर 409/312 है जो रकबा 01 बीघा 13 बिश्वा भुमि थी तथा उक्त कृषि भुमि में से दिनांक 20.03.2020 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को 11 बिश्वा भूमि विक्रय की थी अर्थात अपीलाण्टगण की सम्पुर्ण कृषि भूमि में से 1/3 हिस्सा ही विक्रय हस्तानांतरण किया गया था परन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के आधार पर नामान्तरण पारित करते समय अपीलार्थीगण की सम्पुर्ण कृषि

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

भूमि को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम पर राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर दी तथा भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के अनुसार अकंन सही है, की रिपोर्ट के साथ अधिनस्थ न्यायालय नाथद्वारा द्वारा दिनांक 01.12.2021 को पटवारी हल्का द्वारा भरे गये नामान्तरण को ज्यो का त्यो ही स्वीकृत कर दिया जिससे अपीलार्थीगण की खातेदारी भुमि के हक अधिकार ही समाप्त कर दिये जबकि अपीलार्थीगण के द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में से 11 बिश्वा भुमि ही विक्रय की गई थी तथा उक्त भुमि ही विक्रय पत्र में अंकित है फिर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण की सम्पुर्ण कृषि भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम पर दर्ज कर दी। जो विधि के सर्वथा विपरीत होकर अपास्त योग्य है। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलार्थीगण स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नाथद्वारा के आदेश दिनांक 01.12.2021 के गांव लच्छीपुरा के नामान्तरण संख्या 361 को निरस्त फरमाया जावें तथा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर पुनः नामान्तरणकरण राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने का आदेश प्रदान फरमावें।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस मे कथन किया है कि दस्तावेजों के आधार पर यह त्रुटी हैं। जिसे शुद्ध किए जाने पर कोई आपत्ति नही हैं।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस पर गहन मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। यह अपील विवादित नामांतरकरण क्रमांक 361 दिनांक 01.12.2021 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलान्टगण द्वारा ग्राम लच्छीपुरा स्थित भूमि खसरा संख्या 350/312/1 क्षेत्रफल 1 बीघा 13 बिस्वा का तीसरा हिस्सा यानी 0–11 बिस्वा, 11 बिस्वा भूमि का विक्रय रेस्पोंडेंट संख्या 01 को जरिए पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 20.3.2020 द्वारा किया गया। इस पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर विवादित नामांतरकरण संख्या 361 दिनांक 01.12.2021 को स्वीकृत किया गया। यह नामांतरकरण स्वीकृत करते समय अपीलांटगण द्वारा विक्रय की गई 1/3 हिस्सा भूमि अर्थात 11 बिस्वा भूमि के स्थान पर संपूर्ण भूमि अर्थात 1 बीघा 13 बिस्वा भूमि का नामांतरकरण रेस्पोंडेंट संख्या 01 (क्रेता) के नाम पर दर्ज कर दिया गया जो कि एक त्रुटि है, इसे शुद्ध किया जाना मैं उचित समझता हूँ। इसमें पैरोकार सरकार द्वारा भी दस्तावेजों के आधार पर इसे शुद्ध किए जाने पर कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की गई। रेस्पोंडेंट संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा इस प्रकरण में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया तथा बहस में भी अनुपस्थित रहे।

अतः उक्त विवेचन के फलस्वरुप अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नाथद्वारा द्वारा स्वीकृत नामांतरकरण संख्या 361 दिनांक 01.12.2021 निरस्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र

दिनांक 20.03.2020 के आधार पर नए सिरे से नियमानुसार नामांतरकरण की विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए नए सिरे से नामांतरकरण फैसला करें।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नाथद्वारा द्वारा स्वीकृत नामांतरकरण संख्या 361 दिनांक 01.12.2021 को निरस्त किया जाता है। तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नाथद्वारा को प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20.03.2020 के आधार पर नए सिरे से नियमानुसार नामांतरकरण की विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए नए सिरे से नामांतरकरण फैसला करें।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 08.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमंद (राज.)

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद